



सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
Department of Information Technology & Communication

क्रमांक : F5(915)/DoIT/Tech/15/01529/2021

दिनांक : 23/03/2021

अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर,  
जिला ई-मित्र सोसायटी  
समस्त जिला, राजस्थान।

विषय:- ई-मित्र परियोजना में कार्यरत कियोस्क को बंद करने के क्रम में।

संदर्भ:- इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक F5(915)/DoIT/Tech/15/02571/2019 dated 08-07-2019 के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा ई-मित्र कियोस्कों के सुगम संचालन, विंत्तीय अनियमितता एवं कियोस्क को स्थायी रूप से बंद करने हेतु SDM/SDO को कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया था। इसी क्रम में SDM/SDO के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिला कार्यालय मे पदस्थापित ACP (Dy Director) या उच्च अधिकारी के द्वारा भी ई-मित्र कियोस्को पर कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(विरेन्द्र सिंह)

विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक : F5(875)/DoIT/Tech/2015/VIII/01529/2021

दिनांक : 23/03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक)/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(उप निदेशक), कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर, समस्त जिले।
4. स्थानीय सेवा प्रदाता (समस्त), ई-मित्र परियोजना, राजस्थान।
5. गार्ड फाइल।

अतिरिक्त निदेशक